

समाहरणालय, मधेपुरा

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक... 216 / सा0सु0को0,

प्रेषक,

प्रभारी सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी मधेपुरा / उदाकिशुनगंज
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुरा जिला
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा
कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मुरलीगंज

मधेपुरा, दिनांक 20-07-13

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पेंशन योजना (सामान्य घटक) के कार्यालय व्यय मद में कुल 1,50,000=00 (एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्र सं0- 01/सा0सु0 बजट- लक्ष्मीबाई सा0सु0 पेंशन -08/2013 स0क0-26,, पटना, दिनांक:-07/06/13

महाश्य,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या 2561, दिनांक-17.04.98 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश संख्या-1002, दिनांक-14.05.2013 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष -60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन उप शीर्ष-0105- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड संख्या **P-2235601020105** तथा स्कीम कोड-WEL-5504 के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल 1,50,000=00 (एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन संलग्न तालिका के स्तम्भ-3, के अनुसार उपावटित किया जाता है-

2- उपावटित राशि का व्यय निम्नांकित कार्यों पर किया जायेगा।

(क) शिविर के माध्यम से पेंशन भुगतान की तैयारी के लिए आवश्यक उपस्कर यथा- पंजी, मोबाईल, लेखन सामग्री एवं स्टेशनरी के क्रय पर।

(ख) पेंशन धारियों के डाटा वेस/प्रचार-प्रसार एवं आवागमन हेतु वाहन मद में।

3-उपावटित राशि का व्यय संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र कण्डिका -2 के अनुसार विहित प्रपत्र में कार्य अवयव के विवरणी के साथ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराया जाय।

4- राशि की निकासी कोषांगार से की जायेगी

5-उपावटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय एवं अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो मांग पत्र पूर्ण औचित्य के साथ ससमय की जाय।

6- आवंटित राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाय ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति कर उपयोगिता प्रमाण पत्र महलेखाकार,बिहार पटना को भेजते हुए विभाग को भेजा जा सकें।

उपर्युक्त निदेशों का कृप्या दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अनुलग्नक-उपावटन तालिका।


विश्वासभाजन

प्रभारी सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2012-13 में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (सामान्य घटक) में कार्यालय
व्यय 13 01 मद में उपावंटन तालिका:-2013-14

क्रमांक	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	उपावंटित राशि
1	2	3
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा	10000
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	10000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	5000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	5000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	5000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	5000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	5000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	5000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	5000
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	5000
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	5000
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	5000
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	5000
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	5000
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	5000
16	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	10000
17	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	10000
18	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा	45000
		150000

मो0 (एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र।


प्रभारी सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा